रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)--04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 9—अप्रैल 15, 2011 (चैत्र 19, 1933)
No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 9—APRIL 15, 2011 (CHAITRA 19, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]
[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 मार्च 2011

सं. एफ.-3-7/2010-यू.-II--श्रीमती महाश्वेता देवी, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्ता और लेखक को 01/02/2006 से इस मंत्रालय की 10/04/2007 की अधिसूचना सं. 3-2/06-यू.-II के तहत् राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था।

2. इस प्रकार नियुक्त किए जाने के पश्चात् श्रीमती महाश्वेता ने सामाजिक कार्यकर्त्ता और लेखक के रूप में अपने कार्य को जारी रखते हुए पश्चिमी बंगाल के ग्रामीण आदिवासी समुदायों, महिलाओं और दलितों के अध्ययन से संबंधित कार्य में योगदान किया है।

3. अत: श्रीमती महाश्वेता देवी द्वारा लगातार किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी उन्हें 01/02/2011 से दूसरी अवधि के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करते हैं।

4. श्रीमती महाश्वेता देवी, राष्ट्रीय अनसुधान प्रोफेसरशिप योजना के अधीन विद्यमान शर्तों और निबंधनों के अनुसार 75,000/- रुपये प्रति माह के मानदेय की पात्र होंगी।

राजेन्द्र कलवानी
अवर सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

नई दिल्ली-110002, दिनांक फरवरी 2011

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक स्टॉफ की नियुक्ति के लिए एवं उच्च शिक्षण के रख-रखाव एवं मानकों 2010 (प्रथम संशोधन) नियमन 2011, के उपायों से जुड़े विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित नियमन--

फि.सं. 1-2/2009 (ई.सी./पी.सी.) भाग-II--विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 3) की धारा (ई) एवं (जी) की उप-अनुभाग (1) जो अधिकार प्रदत्त किये गए हैं, तदनुसार आयोग द्वारा निम्न नियमनों का सृजन किया गया है जिनके द्वारा नियमनों का संशोधन किया जाना है जो नियमन, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक स्टॉफ की नियुक्तियों के लिए एवं उच्च शिक्षण-2010 में मानकों के रख-रखाव के लिए विहित किए गए हैं--निम्न रूप से जाने जायेंगे :--

2. संक्षिप्त शीर्षक, अनुप्रयोग एवं समारम्भ :

I. यह सभी नियमन इस नाम से जाने जायेंगे--विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्तियां तथा उच्च शिक्षण के रख-रखाव (प्रथम संशोधन) नियमन--2011

II. यह सभी नियमन इन सभी को लागू होंगे--किसी भी केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत अथवा राज्यीय अधिनियम या राज्यों के अधिनियम अनुसार स्थापित विश्वविद्यालय, प्रत्येक संस्थान, जिसमें ऐसे आंगिक अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय भी सम्मिलित होंगे जिन्हें कि आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है और जो मान्यता यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा (एफ) के अन्तर्गत सम्मिलित है--व इसके साथ ही ऐसा प्रत्येक संस्थान जो सम विश्वविद्यालय के रूप में उपरोक्त अधिनियम के अनुभाग 3 के अन्तर्गत सम्मिलित है--वह भी इन नियमनों में सम्मिलित होगा।

III. यह सभी नियमन तुरंत प्रभावी रूप से लागू माने जायेंगे।

3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रतिपादित न्यूनतम अर्हताएं जोकि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक स्टॉफ की नियुक्तियों के लिए तथा उच्च शिक्षण 2010 के रख-रखाव के उपायों के लिए जैसे भी निम्न अनुच्छेद जहां भी प्रयुक्त होता है :--

''पै बैंड-4 (रु. 37,400--76,000/-) ग्रेड पे के साथ--जो कि और रु. 12,000 प्रतिमाह है'' उपरोक्त को निम्नानुसार को प्रतिस्थापित किया जाये :--

''पै बैंड-4 (रु. 37,400--67,000/-) ग्रेड पे के साथ और रु. 12,000 प्रतिमाह को प्रतिस्थापित किया गया है --नये HAG वेतनमान जो रु. 67,000/- का है (वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3 %) रु. 79,000 बिना ग्रेड पे के।

4. रुपये 12,000 प्रतिमाह का ए.जी.पी. अभी और अधिक अस्तित्व में नहीं है। उपरोक्त वेतनमान को प्राप्त करने के लिए जो पात्रता की शर्तें हैं--वे वैसी ही रहेंगी। वैसे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में इसी समय वाले पदों का 10% प्रतिशत उच्चतमांक तथा मूल्यांकन करने के उद्देश्य से जिस मानदण्डों को पात्रता एवं निष्पादन के लिए स्थापित किया गया है--वह अपरिवर्तित बना रहेगा।

एन. ए. काज़मी
सचिव

RESERVE BANK OF INDIA
(DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION)

Mumbai-400005, the 1st December 2010

No. DNBS. 217/CGM(US)-2010—In exercise of the powers conferred by Section 45JA of the Reserve Bank of India Act, 1934 and of all the powers enabling it in this behalf, and in partial modification of its Non-Banking Financial (Deposit Accepting) Companies Prudential Norms Directions, 2007 issued vide Notification No. DNBS. 192 dated DG (VL)-2007 dated February 22, 2007, the Reserve Bank hereby notifies as follows, namely :—

In para 12 of the Directions, the following shall be added at the end.

"Every non-banking financial company shall finalise its balance sheet within a period of 3 months from the date to which it pertains."

UMA SUBRAMANIAM
Chief General Manager in Charge

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 16th March 2011

No. F-3-7/2010-U-II—Smt. Mahasweta Devi, an eminent social activist and writer, was appointed as a National Research Professor with effect 01/02/2006 vide this Ministry's Notification No. 3-2/06-U-II dated 10.04.2007.

2. After being so appointed, Smt. Mahasweta has continued her work as a social activist and writer and has contributed with her work related to study of the rural tribal communities of West Bengal, women and dalits.

3. Therefore, in consideration of the continual work done by Smt. Mahasweta Devi, the Competent Authority hereby appoints her as National Research Professor for a second term of five years with effect from 01.02.2011.

4. Smt. Mahasweta Devi will be entitled to an honorarium of Rs. 75,000/- per month in accordance with the existing terms and conditions under the Scheme of National Research Professorship.

RAJENDER KALWANI
Under Secy.

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

New Delhi-110002, the February 2011

UGC REGULATIONS ON MINIMUM QUALIFICATIONS FOR APPOINTMENT OF TEACHERS AND OTHER ACADEMIC STAFF IN UNIVERSITIES AND COLLEGES AND MEASURES FOR THE MAINTENANCE OF STANDARDS IN HIGHER EDUCATION, 2010, (1st Amendment) Regulations 2011

F-1-2/2009 (EC/PS) pt.II—In exercise of the powers conferred under clause (e) and (g) of sub-section (1) of Section 26 of University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) the University Grants Commission hereby makes the following Regulations to amend the UGC Regulations on minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in universities and colleges and measures for the maintenance of standards in higher education, 2010, namely :—

2. Short Title, Application and Commencement :—

(i) These Regulations may be called UGC Regulations on minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in universities and colleges and measures for the maintenance of standards in higher education, (1st Amendment), Regulation, 2011.

(ii) They shall apply to every university established or incorporated by or under a Central Act, Provincial Act or a State Act, every institution including a constituent or an affiliated college recognized by the Commission, in consolation with the university concerned under Clause (f) of Section 2 of the University Grants Commission Act, 1956, and every institution deemed to be a university under Section 3 of the said Act.

(iii) They shall come into force with immediate effect.

3. "In the University Grants Commission minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in universities and colleges and measures for the maintenance of standards in higher education 2010, wherever the following para occurs :—

— "Pay Band-4 (Rs. 37,400—67,000/-) with Grade Pay of Rs. 12,000/- per month"

It should be substituted with the following :—

"Pay Band-4 (Rs. 37,400—67,000/-) with Grade Pay of Rs. 12,000/- per month has been replaced by the new HAG scale of Rs. 67,000 (Annual Increment @3%)-79,000 with no Grade Pay. The AGP of Rs. 12,000/- per month does not exist anymore. Other conditions of eligibility to move the above scale of pay will remain the same. However, the ceiling of 10% of such posts in the Central Universities and the criteria for eligibility and for performance evaluation for this will remain unchanged.

K. GUNASEKARAN
Secy.